

कार्यालय,

सचिव, प्राविधिक शिक्षा परिषद,

उत्तर प्रदेश लखनऊ।

संख्या:- प्राशिप/परिषद सम्बद्धता/2022/9755

लखनऊ: दिनांक: 10/10/2022

:-कार्यालय जाप:-

अखिल भारतीय तकनीकी शिक्षा परिषद, नई दिल्ली/फार्मसी काउन्सिल ऑफ इण्डिया, नई दिल्ली द्वारा शैक्षिक सत्र 2022-23 हेतु डिप्लोमा स्तरीय तकनीकी शिक्षण संस्थाओं को अनुमोदन प्रदान किए जाने के उपरांत प्राविधिक शिक्षा परिषद, 30प्र0 लखनऊ से सम्बद्धता/सम्बद्धता विस्तार प्रदान किए जाने हेतु दिनांक- 10/10/2022 को परिषद कार्यालय में सम्बद्धता समिति की बैठक संपन्न हुई। बैठक में समिति द्वारा सत्र 2022-23 हेतु आवेदित नई संस्थाओं को सम्बद्धता/ पूर्व से संचालित संस्थाओं को सम्बद्धता विस्तार/ पाठ्यक्रम/ प्रवेश क्षमता वृद्धि सहित अन्य मदों पर विचार करते हुए सत्र 2022-23 हेतु सम्बद्धता/ सम्बद्धता विस्तार प्रदान किये जाने का निर्णय लिया गया।

सम्बद्धता समिति की बैठक में लिये गये निर्णय के अनुक्रम में निम्न संस्था को प्राविधिक शिक्षा परिषद, 30 प्र0 लखनऊ द्वारा सत्र 2022-23 हेतु निम्नांकित शर्तों के अधीन पाठ्यक्रम एवं उसमें अंकित प्रवेश क्षमता हेतु सम्बद्धता/सम्बद्धता विस्तार प्रदान की जाती है:-

संस्था का कोड एवं नाम : 4071-BABA RAMDAL SURAJDEV PHARMACY COLLEGE			
क्र०सं०	पाठ्यक्रम का नाम	ए0आई0सी0टी0ई0/ पी0सी0आई0 द्वारा सत्र 2022-23 हेतु अनुमोदित प्रवेश क्षमता	परिषद द्वारा सत्र 2022-23 हेतु अनुमोदित प्रवेश क्षमता
1	DIPLOMA IN PHARMACY	60	60

सम्बद्धता हेतु शर्तें

- ✓ संस्था ए0आई0सी0टी0ई0/पी0सी0आई0 द्वारा निर्धारित की गयी सभी शर्तों का पूर्णतः पालन करेगी।
- ✓ संस्था उत्तर प्रदेश प्राविधिक शिक्षा परिषद एक्ट 1962 तथा प्राविधिक शिक्षा परिषद विनियमावली 1992, विनियमावली-2000, सेमेस्टर विनियमावली-2016 तथा समय-समय पर निर्गत शासनादेशों का अनुपालन करेगी तथा शुल्क निर्धारण समिति द्वारा निर्धारित शुल्क तीन वर्षीय इंजी0 पाठ्यक्रमों हेतु रू0 30150.00/- प्रतिवर्ष, दो वर्षीय फार्मसी पाठ्यक्रम हेतु रू0- 45000.00/- प्रतिवर्ष एवं एक तथा दो वर्षीय पाठ्यक्रमों (दो वर्षीय फार्मसी पाठ्यक्रम के अतिरिक्त) हेतु रू0-22500.00/- प्रतिवर्ष शुल्क ही प्रत्येक छात्र/छात्रा से प्राप्त किया जायेगा। उपरोक्त के अतिरिक्त छात्र/छात्राओं से शुल्क के सम्बन्ध में समय-समय पर शासन द्वारा निर्गत किये जाने वाले शासनादेश प्रभावी होंगे, और तदनुसार कार्यवाही किया जाना आवश्यक होगा। फीस निर्धारण समिति द्वारा यदि सत्र 2022-23 हेतु फीस का पुनर्निर्धारण किया जाता है, तो फीस की नवीनतम दरें लागू होंगी।
- ✓ संस्था में संयुक्त प्रवेश परीक्षा परिषद द्वारा आवंटित छात्रों को ही प्रवेश दिया जायेगा।
- ✓ संस्था को समय-समय पर निर्गत शासनादेश के अनुसार निरीक्षण एवं सम्बद्धता शुल्क जमा करना होगा।
- ✓ संस्थान उत्तर प्रदेश शासन द्वारा निर्गत विधि/नियमों/अधिनियमों/शासनादेशों/निर्देशों एवं निदेशक, प्राविधिक शिक्षा, 30प्र0, संयुक्त प्रवेश परीक्षा परिषद, 30प्र0 तथा प्राविधिक शिक्षा परिषद, 30प्र0 द्वारा बनाये गये नियमों, विनियमों, आदेशों एवं निर्देशों का पालन करने के लिये बाध्यकारी है।
- ✓ यदि संस्थान का ए0आई0सी0टी0ई0/पी0सी0आई0 से अनुमोदन निरस्त किया जाता है तो इस संबंध में समस्त उत्तरदायित्व संस्था का होगा और विधिक रूप से किसी भी कार्यवाही के लिए संस्था स्वयं उत्तरदायी होगी। प्राविधिक शिक्षा परिषद, संयुक्त प्रवेश परीक्षा परिषद, प्राविधिक शिक्षा निदेशालय एवं प्राविधिक शिक्षा विभाग उत्तर प्रदेश शासन के विरुद्ध यदि कोई वाद दायर किया जाता है तथा दायर वाद के संबंध में मा. न्यायालय द्वारा किसी प्रकार की प्रतिपूर्ति संबंधी आदेश निर्गत किया जाता है तो समस्त प्रतिपूर्ति संबंधित संस्था को करनी होगी।
- ✓ संस्थाओं को संयुक्त प्रवेश परीक्षा परिषद, उत्तर प्रदेश लखनऊ द्वारा प्रत्येक वर्ष प्रवेश हेतु आयोजित काउन्सिलिंग प्रारंभ होने के पूर्व ए0आई0सी0टी0ई0/पी0सी0आई0 से अनुमोदन प्राप्त कर परिषद कार्यालय को उपलब्ध कराना होगा अन्यथा उन्हें प्रवेश की (काउन्सिलिंग के माध्यम से प्रवेश परीक्षा के आधार पर/सीधे प्रवेश) अनुमति प्रदान नहीं की जायेगी।
- ✓ उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा प्रवेश हेतु समय-समय पर निर्गत नवीनतम आरक्षण नियमों का अनुपालन करना बाध्यकारी होगा।
- ✓ संस्था को अपने वेबसाइट पर संस्था की समस्त सूचनाएं जैसे संस्था की ऐतिहासिक पृष्ठ भूमि, स्टाफ, साज-सज्जा, उपकरण, प्राप्त किया जाने वाला शुल्क, छात्रावास शुल्क आदि का विवरण उपलब्ध कराना होगा।
- ✓ संस्था को शिक्षण-प्रशिक्षण हेतु उपयुक्त वातावरण उपलब्ध कराने के साथ रैगिंग रोकने के सम्बन्ध में समस्त आवश्यक व्यवस्था सुनिश्चित करनी होगी।
- ✓ संस्था यह सुनिश्चित हो ले कि संस्था में प्रस्तावित/ संचालित पाठ्यक्रम को चलाये जाने हेतु निरीक्षण समिति के समक्ष उपलब्ध कराये गये अभिलेख, भूमि-भवन, फर्नीचर, उपकरण इत्यादि का यदि संस्था द्वारा किसी अन्य पाठ्यक्रम के संचालन में प्रयोग किया जाता है और परिषद को इसकी जानकारी होती है कि संस्था उपरोक्त का प्रयोग किसी अन्य कार्य के लिए कर रही है तो तत्काल संस्था की सम्बद्धता समाप्त किये जाने की कार्यवाही की जायेगी।
- ✓ संस्था के औचक स्थलीय निरीक्षण के दौरान यदि संस्था में भूमि, भवन, प्रयोगशाला, उपकरण एवं अन्य साज-सज्जा ए0आई0सी0टी0ई0/पी0सी0आई0/परिषद के मानकानुसार उपलब्ध नहीं पाया जाता है तो संस्था की सम्बद्धता समाप्त कर दी जाएगी।
- ✓ सम्बद्धता शर्तों का अनुपालन न किये जाने अथवा शर्तों का उल्लंघन किये जाने की स्थिति में नियमानुसार अनुशासनात्मक कार्यवाही की जायेगी।



(एफ0आर0 खान)

सचिव

पृ0सं0- प्राशिप/परिषद सम्बद्धता/2022/9756-9830

दिनांक: 10/10/2022

प्रतिलिपि:-

प्रधानाचार्य/निदेशक, BABA RAMDAL SURAJDEV PHARMACY COLLEGE



(एफ0आर0 खान)

सचिव

कार्यालय.

संघीय प्राविधिक शिक्षा परिषद.

उत्तर प्रदेश तखनऊ।

संख्या:- प्राशिप/परिषद सम्बद्धता/2021/3537

तखनऊ दिनांक: 09/08/2021

:-कार्यालय तथ्य:-

अखिल भारतीय तकनीकी शिक्षा परिषद, नई दिल्ली कार्मैसी काउन्सिल ऑफ इण्डिया, नई दिल्ली द्वारा वार्षिक सत्र 2021-22 हेतु दिल्ली/राज्य स्तरीय तकनीकी शिक्षण संस्थाओं को अनुमोदन प्रदान किए जाने के उपरान्त प्राविधिक शिक्षा परिषद, उत्तर प्रदेश तखनऊ से सम्बद्धता सम्बद्धता विस्तार प्रदान किए जाने हेतु दिनांक: 18/08/2021 को परिषद कार्यालय से सम्बद्धता समिति की बैठक सम्पन्न हुई। बैठक में समिति द्वारा सत्र 2021-22 हेतु आवेदित नई संस्थाओं को सम्बद्धता पूर्व में स्थापित संस्थाओं को सम्बद्धता विस्तार: पाठ्यक्रम प्रवेश क्षमता वृद्धि सहित अन्य सटी पर विचार करते हुए सत्र 2021-22 हेतु सम्बद्धता सम्बद्धता विस्तार प्रदान किन्टी जर्ने का निर्णय लिया गया।

सम्बद्धता समिति की बैठक में लिये गये निर्णय के अनुक्रम में निम्न संस्था को प्राविधिक शिक्षा परिषद, उत्तर प्रदेश तखनऊ द्वारा सत्र 2021-22 हेतु निम्नलिखित शर्तों के अधीन पाठ्यक्रम एक उत्तम अखिल प्रवेश क्षमता हेतु सम्बद्धता विस्तार प्रदान की जाती है -

संस्था का कोड एवं नाम : 4071-BABA RAMDAL SURAJDEV PHARMACY COLLEGE VILL-PATNA
POST-KANSO TEHSIL-RASRA,BALLIA-221706

क्र.सं	पाठ्यक्रम का नाम	ए0आई0सी0टी0ई0/ पी0सी0आई0 द्वारा सत्र 2021-22 हेतु अनुमोदित प्रवेश क्षमता	परिषद द्वारा सत्र 2021-22 हेतु अनुमोदित प्रवेश क्षमता
1	DIPLOMA IN PHARMACY	60	60

सम्बद्धता हेतु शर्तें

- संस्था ए0आई0सी0टी0ई0 पी0सी0आई0 द्वारा निर्धारित की गयी सभी शर्तों का पूर्णतः पालन करेगी।
- संस्था उत्तर प्रदेश प्राविधिक शिक्षा परिषद एक्ट 1962 तथा प्राविधिक शिक्षा परिषद विनियमवली 1992, सेमेस्टर विनियमवली-2016 तथा अन्य लिखित नियमों एवं आदेशों का अनुपालन करेगी तथा शुल्क निर्धारण समिति द्वारा निर्धारित शुल्क: तीन वार्षिक इंजीनियरिंग पाठ्यक्रमों हेतु रु0 30-50,000/- प्रतिवर्ष दो वार्षिक कार्मैसी पाठ्यक्रम हेतु रु0-45000.00/- प्रतिवर्ष एक एका तथा दो वार्षिक पाठ्यक्रमों (दो वार्षिक कार्मैसी पाठ्यक्रम के अतिरिक्त) हेतु रु0-22500.00/- प्रतिवर्ष शुल्क ही चरमके उच्चतम/से प्राप्त किया जायेगा। उपरोक्त के अतिरिक्त छात्रछात्राओं से शुल्क के सम्बन्ध में संस्था-समय पर शास्त्र द्वारा निर्गत किये जाने वाले सामनादेश प्रभावी होंगे और तदनुसार

**कार्यालय,
राष्ट्रीय प्राथमिक शिक्षा परिषद,
अरार चौराहा अहमदनगर।**

संख्या - प्राथिन/परिषद/सम्बद्धता/ 2020/ 1071

अवधानक दिनांक 15-8-2020

— कार्यालय ड्राफ्ट —

अखिल महाराष्ट्र प्राथमिकी शिक्षा परिषद -ने दिवनी/कार्येची कार्यान्वयन शीघ्र शिबिरा नई दिल्ली द्वारा संकेत क्रम 2020-21 हेतु दिवनी/संकेत संकेत प्राथमिकी शिक्षा परिषद को अनुमोदन प्रदान किए जाने को संकेत प्राथमिक शिक्षा परिषद, अहमदनगर में सम्बद्धता/सम्बद्धता विस्तार प्रदान किए जाने हेतु दिवनी/संकेत संकेत प्राथमिक शिक्षा परिषद, अहमदनगर को अखिल महाराष्ट्र प्राथमिक शिक्षा परिषद से ई-मेल सम्बद्धता प्रदान किया गया। 2020-21 हेतु प्राथमिकी शिक्षा परिषद को अखिल महाराष्ट्र प्राथमिक शिक्षा परिषद से ई-मेल सम्बद्धता प्रदान किया गया। 2020-21 हेतु प्राथमिकी शिक्षा परिषद को अखिल महाराष्ट्र प्राथमिक शिक्षा परिषद से ई-मेल सम्बद्धता प्रदान किया गया।

अहमदनगर में सम्बद्धता समिति को ई-मेल से दिवनी/संकेत प्राथमिक शिक्षा परिषद को अखिल महाराष्ट्र प्राथमिक शिक्षा परिषद से ई-मेल सम्बद्धता प्रदान किया गया। 2020-21 हेतु प्राथमिकी शिक्षा परिषद को अखिल महाराष्ट्र प्राथमिक शिक्षा परिषद से ई-मेल सम्बद्धता प्रदान किया गया।

राज्य में प्राथमिक शिक्षा परिषद द्वारा कार्यान्वयन विस्तार करने वाली नवम्बर मा. प्राथमिक शिक्षा परिषद, अहमदनगर से पूर्व से सम्बद्ध है, एवं स.क्र. 2020-21 हेतु पीसीआईओ द्वारा उन्हें अखिल महाराष्ट्र प्राथमिक शिक्षा परिषद से अनुमोदन विस्तार प्रदान किया गया है। इन संस्थाओं में पीसीआईओ द्वारा प्रदान किये गये अनुमोदन विस्तार को अखिल महाराष्ट्र प्राथमिक शिक्षा परिषद से सम्बद्धता विस्तार प्रदान किया जाने पर समिति द्वारा शिक्षा-विभाग शिक्षा परिषद से पीसीआईओ द्वारा अखिल महाराष्ट्र प्राथमिक शिक्षा परिषद से अनुमोदन विस्तार को अखिल महाराष्ट्र प्राथमिक शिक्षा परिषद से सम्बद्धता विस्तार किये जाने का निर्णय लिया गया।

दिवनी/संकेत संकेत प्राथमिक शिक्षा परिषद को ई-मेल से दिवनी/संकेत प्राथमिक शिक्षा परिषद को अखिल महाराष्ट्र प्राथमिक शिक्षा परिषद से ई-मेल सम्बद्धता प्रदान किया गया। 2020-21 हेतु प्राथमिकी शिक्षा परिषद को अखिल महाराष्ट्र प्राथमिक शिक्षा परिषद से ई-मेल सम्बद्धता प्रदान किया गया।

क्र. संख्या	संस्था का नाम	सम्बद्धता का नाम	प्राथमिक शिक्षा परिषद / प्राथमिक शिक्षा परिषद / प्राथमिक शिक्षा परिषद	पीसीआईओ / प्राथमिक शिक्षा परिषद	पीसीआईओ / प्राथमिक शिक्षा परिषद
1	राज्य प्राथमिक शिक्षा परिषद, अहमदनगर	प्राथमिक शिक्षा परिषद	प्राथमिक शिक्षा परिषद	प्राथमिक शिक्षा परिषद	प्राथमिक शिक्षा परिषद

सम्बद्धता हेतु शर्तें

- 1. प्राथमिक शिक्षा परिषद, अहमदनगर को अखिल महाराष्ट्र प्राथमिक शिक्षा परिषद से अनुमोदन विस्तार प्रदान किया गया है।
- 2. प्राथमिक शिक्षा परिषद, अहमदनगर को अखिल महाराष्ट्र प्राथमिक शिक्षा परिषद से अनुमोदन विस्तार प्रदान किया गया है।
- 3. प्राथमिक शिक्षा परिषद, अहमदनगर को अखिल महाराष्ट्र प्राथमिक शिक्षा परिषद से अनुमोदन विस्तार प्रदान किया गया है।
- 4. प्राथमिक शिक्षा परिषद, अहमदनगर को अखिल महाराष्ट्र प्राथमिक शिक्षा परिषद से अनुमोदन विस्तार प्रदान किया गया है।
- 5. प्राथमिक शिक्षा परिषद, अहमदनगर को अखिल महाराष्ट्र प्राथमिक शिक्षा परिषद से अनुमोदन विस्तार प्रदान किया गया है।